UPSI180001932025

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद संख्या–55/2025

प्रहलाद आदि बनाम राममिलन आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थायी निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**6000/–रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**10.02.2025**

यह वाद–पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रवीन्द्र कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र–6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक–19.03.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6 ग 2</u>

वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय भूमि गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.226 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर कब्जा करने व उस पर निर्माण कार्य करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची–9 ग 1 से दो किता उद्धरण खतौनी क्रमशः गाटा संख्या–1122 क्षेत्रफल 0.226 हे० व गाटा संख्या–1123 क्षेत्रफल 0.303 हे० स्थित ग्राम रामपुर परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर, एक किता ग्राम प्रधान रामपुर व जिलाधिकारी सीतापुर को पंजीकृत डाक से भेजी गयी नोटिस की प्रति व डाक रसीद क्रमशः कागज संख्या–10 ग 1/1 लगायत 11 ग 1 एवं पृथक से चार किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रति क्रमशः कागज संख्या–12 ग 1/1 लगायत 12 ग 1/4 दाखिल पत्रावली की गयी है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनाँक–19.03.2025 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना–पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादबिन्दु दिनाँक–19.03.2025 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O Code–UP3555

............(P.T.O.)

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2025.02.10 17:26:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmudabad
Sitapur.

<u>निस्तारण प्रार्थना–पत्र 8 ग 2</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र 8 ग 2 वास्ते कराये जाने कमीशन कार्यवाही जरिये कमिश्नर पर एकपक्षीय रूप से सुना गया। विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। प्रार्थना–पत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है।

वादीगण जरिये **अमीन कमिश्नर** विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने हेतु पैरवी अविलम्ब करें। अमीन कमिश्नर को आदेशित किया जाता है कि वे विवादित सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी आख्या आगामी तिथि तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि अमीन कमिश्नर पर विवादित सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे।

दिनांकः–10.02.2025

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।
J.O.Code–UP3555

vijay/–